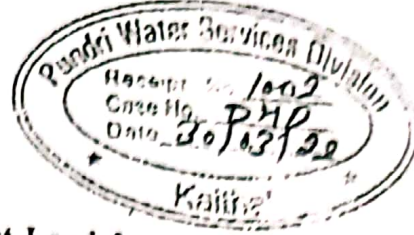


क्रमांक :- 11049

दिनांक :- 31/02/2022

सेवा में,

कार्यकारी अभियंता,
पूण्डरी जल सेवाएं मण्डल,
कैथल।



विषय :-

Diversion of 0.021 Ha. of Forest Land for purpose of pump House at RD 84000-R Habri Sub branch under Forest Division & Distt. Kailash, Haryana. (FP/HR/IRRIG/19242/2016). D-III-6722.

संदर्भ :-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एफ0सी0ए0), हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय का पत्र क्रमांक 6057-58 दिनांक 10/01/2022 व क्रमांक एन0टी0/6323-24 दिनांक 25/01/2022 तथा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2833 दिनांक 20/09/2018, क्रमांक 1388 दिनांक 19/06/2018, क्रमांक 2884 दिनांक 13/10/2020, क्रमांक 3452 दिनांक 19/11/2020, क्रमांक 4071 दिनांक 24/12/2020 व क्रमांक 5260 दिनांक 10/03/2021 व क्रमांक 2712 दिनांक 25/08/2021 के निरन्तर में।

Hand Dated 6-4-2022
above is forwarded to
DAO Pundri
for
information and

XEN Pundri

:-

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि प्र0नु0व0सं0, हरि0, पंचकूला के संदर्भांकित पत्रों द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC (volume-I) दिनांक 06/01/2022 द्वारा संशोधित/निर्धारित सी0ए0 व एन0पी0वी0 की दरों के अनुसार एन0पी0वी0 राशि की गणना करके बकाया एन0पी0वी0 की राशि भी सम्बन्धित विभाग/यूजर एजैन्सी से जमा करवाने वारे निर्देश दिए गए हैं।

अतः उपरोक्त आदेशों की अनुपालना में आपको लिखा जाता है कि आप भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC (volume-I) दिनांक 06/01/2022 द्वारा संशोधित/निर्धारित सी0ए0 व एन0पी0वी0 की दरों/रिवाइस्ड सी0ए0 स्कीम के अनुसार प्रस्ताव से सम्बन्धित नेट प्रजैन्ट वैल्यू आफ लैण्ड की राशि 28,500/-रु0, क्षतिपूर्ति पौधारोपण हेतु 1,44,936/-रु0 तथा 10 प्रतिशत ओवर हैड में राशि 14,494/-रु0 व बाधक वृक्षों की कटाई का खर्च 22,296/-रु0 तथा नष्ट पौधारोपण पर खर्च राशि 0/-रु0, Soil and

Moisture Conservation charge 47,829 / - रु० सहित कुल 2,58,055 / - रु० भारत सरकार
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेब साइट www.parivesh.nic.in पर
अपने (प्रस्ताव ऑनलाईन करते समय इस्तेमाल किए गए) आई०डी० पासवर्ड से
लॉग-इन करके प्रस्ताव से सम्बन्धित राशि हेतु चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा
में जमा करवाकर जमा राशि से सम्बन्धित दस्तावेज चालान कॉपी/यू०टी०आर० नं० की
प्रति सहित अविलम्ब इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। अन्यथा प्रथम स्टेज की
स्वीकृति की अनुपालना के अभाव में यह केस रद्द हो सकता है, उस स्थिति में आप
स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके अतिरिक्त फाईनल स्वीकृति के अभाव में वन भूमि का प्रयोग
निषेध है और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा (3 ए०) के तहत कार्यवाही भी की
जा सकती है। इसे अति आवश्यक समझा जावे।
संलग्न/रिवाइस्ड सी०ए० स्कीम।

पृ० क्रमांक :-

दिनांक :-

उप वन संरक्षक,
कैथल।

एक प्रति :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एफ०सी०ए०), हरियाणा, पंचकूला को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 6057-58 दिनांक 10/01/2022 व क्रमांक एन०टी०/6323-24 दिनांक 25/01/2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. वन राजिक अधिकारी, पूण्डरी को इस कार्यालय के पत्र पृ० क्रमांक 3453-56 दिनांक 19/11/2020 के संदर्भ में भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि भारत सरकार से केस स्वीकृत होने तक प्रभावित वन क्षेत्र में कोई कार्य न करने दिया जाए।

No 2666 IWO.

Dated 8/1/22

-Sd-

उप वन संरक्षक,
कैथल।

Copy of the above is forwarded to DAO
Pundri for information and N/A Pls.

XEN Pundri